

‘मास्टर प्लान में 80 फीट की सेक्टर रोड से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए’

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट टर्मिनल-2 से मनोहरपुरा कच्ची बस्ती तक की 80 फीट की सेक्टर रोड पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में यूडीएच सचिव, जेडीए सचिव, जेडीए ज़ोन-4 के उपायुक्त और प्रवर्तन अधिकारी से जवाब मांगा है। अदालत ने इन अधिकारियों से तीन सप्ताह में बताने को कहा है कि जब 2०25 के मास्टर प्लान में रवी रोड 8० फीट चौड़ाई में स्वीकृत है तो उस पर हो रहे अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए गए। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश शंकर कॉलोनी विकास समिति, जगतपुरा की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता लखन शर्मा ने अदालत को बताया कि एयरपोर्ट टर्मिनल-2 से मनोहरपुरा कच्ची बस्ती तक 8० फीट की सेक्टर रोड मास्टर प्लान में स्वीकृत है। इसके बावजूद से सेक्टर रोड पर अतिक्रमण हो रहा है। कई जगह पर तो इस रोड की चौड़ाई आधी से भी कम रह गई है।

प्री-प्राइमरी से फर्स्ट क्लास तक देना होगा आरटीई में प्रवेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश के निजी स्कूलों को प्री-प्राइमरी से फल्ट क्लास तक आरटीई के राहत प्रवेश देना होगा। निजी स्कूल इन कक्षाओं में से जिस भी कक्षा में विद्यार्थियों को प्रवेश देती है, उस कक्षा में 25 फीसदी सीटों पर आरटीई के तहत प्रवेश देने होंगे।

एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संघू की खंडपीठ ने यह आदेश अभ्युत्थानम सोसायटी व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं अदालत ने मामले में राज्य सरकार और निजी स्कूलों की अपील को खारिज कर दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि स्कूल पहली कक्षा में अतिरिक्त सीटों पर सामान्य प्रवेश दे रहे हैं तो उसी अनुपात में 25 फीसदी सीटों पर आरटीई के तहत भी प्रवेश दिए जाएंगे। अदालत ने मामले में गत

- कई स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं होने के कारण उनमें पहली कक्षा से पहले ही प्रवेश हो जाता है। जिसके चलते स्कूल आरटीई में प्रवेश नहीं देते**

4 नवंबर को सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जनहित याचिका में राज्य सरकार के साल 2०2० की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। अधिसूचना में कहा गया था कि निजी स्कूलों को आरटीई के तहत केवल पहली कक्षा में प्रवेश देने पर ही फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। अधिवक्ता रिद्धि ने बताया कि कई स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं होने के कारण उनमें पहली कक्षा से पहले

ही प्रवेश हो जाता है। जिसके चलते स्कूल आरटीई में प्रवेश नहीं देते। वहीं स्कूल प्रशासन की ओर से कहा गया कि स्कूलों के संस्थापन सीमित हैं और राज्य सरकार ने फीस के पुनर्भरण को लेकर 2०09 से लेकर अब तक कोई नियम नहीं बनाए हैं।

वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाविद्यक्ता सुरेंद्र सिंह नरूका ने कहा कि प्री प्राइमरी व पहली कक्षा दोनों लेवल पर आरटीई में प्रवेश हो तो प्री प्राइमरी में होने वाले प्रवेशों के लिए भी केन्द्र सरकार से निर्धारित फीस को पुनर्भुगतान राशि राज्य को दिलाई जाए। दूसरी ओर केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया था कि आरटीई में प्रवेश की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, केन्द्र की नहीं।

सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए निजी स्कूलों और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सराहा महिलाओं का हुनर

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित 7 दिवसीय ‘राष्ट्रीय महिला लोक कला एवं शिल्प कार्यशाला’ के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान आयोजकों की ओर से उपमुख्यमंत्री का सम्मान किया गया।

समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों से आई महिला कलाकारों द्वारा लगाई गई स्टैल्स का अवलोकन किया और कलाकारों से संवाद कर उनकी कलाकृतियों को सराहना की। उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाली कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह आयोजन नारी सशक्तिकरण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और लोक कलाओं को नई पौढ़ी तक पहुँचाने की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल है।

राजस्थान विश्वविद्यालय ने 8०वाँ स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने आज अपना 8०वाँ स्थापना दिवस भव्य, गरिमामयी एवं उत्सवपूर्ण वातावरण में मनाया। इस अवसर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि माननीय अर्जुन राम मेघवाल, केन्द्रीय मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में बाबूलाल जी, प्रान्त प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जयपुर प्रान्त की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस पावन अवसर पर प्रोफ़ेसर भगवती प्रसाद सारस्वत, कुलगुरु, कोटा विश्वविद्यालय तथा डॉ. ओम प्रकाश बैरवा, आयुक्त कॉलेज शिक्षा की गरिमामयी उपस्थिति रही।



समारोह में प्रोफ़ेसर भगवती प्रसाद सारस्वत, कुलगुरु, कोटा विश्वविद्यालय तथा डॉ. ओम प्रकाश बैरवा ने पुस्तक का विमोचन किया।

उल्लेख किया। कुलगुरु ने विश्वविद्यालय के ध्येय वाक्य धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा की व्याख्या करते हुए कहा कि यह भारतीय ज्ञान परम्परा का वह वैश्विक सन्देश है, जो मानवता को नैतिक दिशा प्रदान करता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलगुरु डॉ. जी. एस. महाजनी के

दूरदर्शी योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी विश्वविद्यालय के मूल दर्शन और कार्यसंस्कृति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कुलगुरु प्रो कटेजा ने अपने उद्बोधन में विश्वविद्यालय की अकादमिक उपलब्धियों, सामाजिक योगदान तथा प्रशासन, न्यायपालिका, राजनीति,

शिक्षा, संस्कृति और खेल के क्षेत्रों में विश्वविद्यालय से निकली विशिष्ट प्रतिभाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और समावेशन राजस्थान विश्वविद्यालय के कार्य प्राथमिकताओं के केन्द्र में रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा

- कुलगुरु ने विश्वविद्यालय की विरासत, उपलब्धियों और भविष्य की दिशा को रेखांकित किया**

कि विकसित भारत-2०47 के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में राजस्थान विश्वविद्यालय बौद्धिक, सामाजिक एवं नवाचार आधारित नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। समारोह के मुख्य अतिथि अर्जुन राम मेघवाल, माननीय केन्द्रीय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने उद्बोधन में राजस्थान विश्वविद्यालय को नैक द्वारा प्रदान की गई ग्रेड को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान संस्कृति, हरित परिसर, महिला सशक्तिकरण, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को सुदृढ़ पुष्टि होना बताया। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास और प्रतिबद्धता को दिया।

‘कांग्रेस की राजनीति विभाजन, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की प्रतीक’

- भाजपा में ना तो अपराधियों को मिलता है संरक्षण, ना ही भ्रष्टाचार को किया जाता है बर्दाश्त : मदन राठौड़**

चाहिए कि जो भी दोषी हो, उसे दंड मिले, चाहे वह किसी भी दल या समाज से हो। अपना व्यक्ति गलत करे तो संरक्षण और दूसरा गलत करे तो कार्रवाई – यह नीति न तो लोकतांत्रिक है और न ही नैतिका। राठौड़ ने कहा कि आज देश देख रहा है कि बंगाल सहित कई राज्यों में खुलेआम हिंसा और अपराध हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जैसे

नगर निगम का गोदाम पर छापा, एक लाख का जुर्माना

जयपुर। नगर निगम जयपुर द्वारा शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर गुरुवार को अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य शाखा द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई।

अभियान के तहत बास बदनपुरा क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर जांच कार्रवाई की गई। जांच के दौरान गोदाम परिसर में भारी गंदगी, डस्टबिन की अनुपस्थिति तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाया गया। नियमों के उल्लंघन पर गोदाम मालिक राहुल शर्मा, निवासी पंजाबी कॉलोनी, के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम की ओर से एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि गोदाम संचालक को भविष्य सफाई रखने और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई। इसके साथ ही एक अन्य कार्रवाई के दौरान एक ई-रिक्षा में अवैध रूप से ले जाई जा रही सिंगल यूज प्लास्टिक भी जब्त की गई।

सार-समाचार

जयपुर शहर जिला उपाध्यक्ष बनने पर यादव का किया स्वागत



जयपुर। पूर्व पार्षद एवं चेयरमैन अजय यादव को जयपुर शहर जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने पर समाचार पत्र वितरक महासंघ के पदाधिकारियों स्थानीय निवासियों व कार्यकर्ता बंधुओं ने उनका स्वागत एवं सम्मान साफा माला व शॉल ओढ़ाकर किया।आए हुए सभी महानुभावों ने अजय यादव को शुभकामनाएं दी व उनके उज्जवल भविष्य को कामना की।सभी वितरक बंधुओं ने माननीय मुख्यामंत्री भजन लाल शर्मा माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड व माननीय जयपुर शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल का आभार व्यक्त किया।इस दौरान निर्वर्तमान महापौर कुसुम यादव कोषाध्यक्ष हनुमान सैनी, सावंत सिंह राठौड घनश्याम यादव टीकम यादव राजेश यादव बीएल मीणा अनिल यादव गजेंद्र सिंह जुगल बागडा राजेंद्र सैनी मुकेश सैनी कैलाश मीणा गोविंद कुशैं संजय यादव अनिल यादव सतनारायण शर्मा नरेश शर्मा अक्षय यादव सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे ।

इस्लाहे मआशरा की कारगर हो रही मुहिम

जयपुर। राजस्थान के कुरैशी समाज में देहज के लेन-देन पर पाबंदी लग रही है। समाज के वरिष्ठजन एवं नामवर लोग अपने लड़के-लड़कियों की शादी में देहज का लेन-देन बंद कर एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इस मुहिम में गत वर्ष वरिष्ठ समाजसेवी एवं बिजनेसमैन झोटवाडा निवासी छट्टन कुरैशी ने अपनी बेटी आलिमा की नो गार्डन, नो डिनर, नो देहज के पैटर्न पर शादी कर एक मिसाल कायम की। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एमडी रोड की इस्लाहे मआशरा कमेटी ने भूमिका निभाते हुए सादगी के साथ निकाह के कई आयोजन मस्जिद में कराए। देहज के बिना लेन-देन की इसी कड़ी में गुरुवार 8 जनवरी को झोटवाडा की नूरानी मस्जिद में मेराज कुरैशी ने अपनी पुत्री शहनाज का निकाह रामनगर शास्त्री नगर के जहीरूद्दीन के पुत्र जुनेद के साथ सादगी से संपन्न कराया। शरीरत के अनुसार निकाह की रस्म अदायगी के बाद सभी आगंतुकों को खिजूर पेश कर अगवानी की गई। इस मौके पर बिरादरी के वरिष्ठ जन एवं बड़ी संख्या में समाजसेवी शामिल हुए।

गंदगी और सिंगल यूज प्लास्टिक पर नगर निगम का कड़ा प्रहार

जयपुर। नगर निगम जयपुर द्वारा शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से गंदगी फैलाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देश पर गुरुवार को अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य शाखा द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। नियमों के उल्लंघन पर गोदाम मालिक राहुल शर्मा, निवासी पंजाबी कॉलोनी, के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम की ओर से एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि गोदाम संचालक को भविष्य सफाई रखने और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई।इसके साथ ही एक अन्य कार्रवाई के दौरान एक ई-रिक्षा में अवैध रूप से ले जाई जा रही सिंगल यूज प्लास्टिक भी जब्त की गई। निगम टीम ने मौके से लगभग 1२० किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया। नगर निगम आयुक्त डॉ गौरव सैनी ने स्पष्ट किया कि गंदगी फैलाने, डस्टबिन नहीं रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को किसी भी सूत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम जयपुर ने आमजन और व्यापारियों से अपील की है कि वे स्वच्छता नियमों का पालन करें, डस्टबिन का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह बंद करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ई-जनसुनवाई प्रणाली दूसरे दिन भी रही निरंतर जारी

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों की सुविधा और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई ई-जनसुनवाई प्रणाली दूसरे दिन, गुरुवार को भी निरंतर जारी रही। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के नेतृत्व में किए गए इस नवाचार के माध्यम से अब आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं, बल्कि घर बैठे ही उनकी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। जेडीसी ने बुधवार को इस डिजिटल पहल का शुभारंभ किया था। इसका मुख्य ध्येय आमजन को परेशानियों को कम करना है। पूर्व में नागरिकों को शिकायतों के निवारण के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों का व्यय होता था। ई-जनसुनवाई प्रणाली से न केवल प्रक्रिया पारदर्शी बनी है, बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। प्रकरणों का चयन: सर्वप्रथम ई-संपर्क पोर्टल एवं जेडीए ऑनलाइन पोर्टल पर लॉबित गंभीर प्रकृति के प्रकरणों को लोग उपायुक्त एवं प्रकोष्ठ प्रभारियों द्वारा विहित किया जाता है। सूचना एवं लिंक: आवेदक को जोन उपायुक्त के माध्यम से सुनवाई का समय और दिनांक मैसेज द्वारा सूचित किया जाता है। सुनवाई से एक घंटे पूर्व, प्रार्थी को वेबएक्स पेप का लिंक भेजा जाता है। इस हेतु प्रार्थी को अपने मोबाईल में वेबएक्स ऐप इंस्टाल करना होगा।

189 किलो डोडा-पोस्ट के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। ब्यावर एसपी रतन सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करोँ के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बदनौर थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने ओझियाना मार्ग पर घेराबंदी कर एक हुडई क्रेटा कार से 1८9 किलो 4९० ग्राम अवैध अफीम डोडा-पोस्ट बरामद कर दो शातिर तस्करोँ को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 28.5० लाख रुपए आंकी गई है। एसपी सिंह ने बताया कि बदनौर थानाधिकारी महादेव प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ओझियाना की तरफ नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान एक सफेद रंग की क्रेटा कार आई, जिसे रकने का इशारा किया गया। तस्करोँ ने रकने के बजाय नाकाबंदी तोड़कर गाड़ी भगा ली।

मुख्यमंत्री महायज्ञ में शामिल हुए जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को सीकर रोड स्थित नौडड आवासीय योजना में आयोजित श्रीराम कथा एवं 1००8 कुण्डीय हनुमन् महायज्ञ में शामिल हुए। शर्मा ने इस अवसर पर जगदगुरु स्वामी रामभद्रचार्य जी के सानिध्य में सपरिवार मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहूति दी।

रैन बसेरोँ में जरूरतमंदों के लिए सुविधाएं उपलब्ध

जयपुर । नगर निगम जयपुर द्वारा शहर में संचालित रैन बसेरोँ में जरूरतमंद एवं निराश्रित व्यक्तियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। रैन बसेरोँ में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जरूरतमंदों को सहायता प्रदान की जा रही है। सर्दी के मौसम को देखते हुए निगम अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बुधवार को रात्रि में आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने जे.के लीन अस्पताल के गेट के पास, सांगेनर पुलिया के नीचे, गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के सामने, महारानी फार्म पुलिया के नीचे रैन बसेरोँ का औचक निरीक्षण दिया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। शहर में 12 स्थायी एवं 1३ अस्थायी रैन बसेरोँ, कुल 25 रैन बसेरोँ का संचालन किया जा रहा है। इन रैन बसेरोँ में जरूरतमंदों के लिए नि:शुल्क उहराव, गर्म बिस्तर, कंबल, अलाव, स्वच्छ पेयजल एवं भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है।